रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269646
CG-DL-E-29012026-269646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, बुधवार, 28 जनवरी, 2026/माघ 8, 1947
No. 367] NEW DELHI, WEDNESDAY, 28 JANUARY, 2026/MAGHA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 395(अ).— यत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कीअधिसूचना संख्या का.आ. 1457 (अ) दिनांक 09.05.2017 तथा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 276 (अ) दिनांक 14.02.2012, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अंतर्गत जारी की गई थीं, के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-205A के खरड़–बनूर–तेपला खंड को कि.मी. 0.00 से कि.मी. 39.53 तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग - 205 और राष्ट्रीय राजमार्ग- 5 के चंडीगढ़ से कुराली खंड के एक भाग [कि.मी. 0.870 सेकि.मी. 1.680 (पंजाब/चंडीगढ़ सीमा) और कि.मी. 6.800 (चंडीगढ़/पंजाब सीमा) से कि.मी. 28.600 तक] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अत; अब, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जिसे आगे "नियम" कहा गया है), केन्द्रीय सरकार एत द्वारा, पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -205A पर ग्रीन फील्ड एलाइनमेंट आईटीसिटी चौक से कुराली खंड [(डिज़ाइन चेनैज कि.मी. 0+000 से कि.मी. 22+080 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-205 के एक भाग डिज़ाइन चेनैज कि.मी. 22.080 से कि.मी. 31.230, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-205 के मौजूदा कुराली बाइपास का खंड (मौजूदा कि.मी. 22+680 से कि.मी. 29+900)] तक चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए सारणी-1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहन प्रकारों पर 30.223 कि.मी. की शुद्ध सड़क खंड लंबाई (सारणी-2) और समतुल्य संरचना (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) 11.010 कि.मी. (जिसकी 1.101 कि.मी.लंबाई [सारणी-4] है) के लिए सारणी-1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा 7.126 कि.मी. लंबाई वाले बाइपासों (सारणी-3), जिनकी लागत दस करोड़ रुपये या उससे

अधिक है, के लिए आधार दर का डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संगहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है , अर्थात्:—

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इस अनुबंध के अंतर्गत लगाया और वसूला जाने वाला शुल्क, निर्दिष्ट शुल्क प्लाजा (या प्लाजा) के लिए निर्धारित कुल सड़क लंबाई के लिए शुल्क प्लाजा पर देय होगा, अर्थात्:

सारणी–2		
फी प्लाजा का स्थान (चेनैज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
पंजाब राज्य के एस.ए.एस. नगर जिले में बजहरी गाँव के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-205A के कि.मी. 19+425 पर	30.223 कि.मी. [बाइपास की लंबाई (लागत> 10 करोड़) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी–3						
फी प्लाजा का स्थान (चेनैज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (रुपये करोड़ में)**	
पंजाब राज्य के एस.ए.एस. नगर जिले में गांव बजहरी के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग -205A के कि.मी. 19+425 पर	राष्ट्रीय राजमार्ग -205 का कुराली बाइपास	22.680	29.900	7.126	410.40	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखितआधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग हेतु ऐसी संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा

सारणी–4			
फी प्लाजा का स्थान (चेनैज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं^ की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**वह दर जिस पर शुल्क संदेय है**
पंजाब राज्य के एस.ए.एस. नगर जिले में बजहरी गाँव के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-205A के कि.मी. 19+425 पर	1.101	11.010	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^विवरण इस प्रकार हैं:—

क्र. सं.	**डिज़ाइन चेनज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	आरंभ	समाप्ति		
1	-(0+060)	+(0+060)	वीओपी	0.120
2	0+070	0+280	फ्लाईओवर	0.210
3	0+288	0+388	मुख्य पुल	0.100
4	18+416	18+506	मुख्य पुल	0.090
5	20+572	20+639	आरओबी	0.067
6	29+695	29+905	मुख्य पुल	0.210
7	31+020	31+230	फ्लाईओवर	0.210
8	26+833	26+927	आरओबीकुरालीबाईपास	0.094
		कुल		**1.101**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रुपए (रुपए तीन सौ चालीस मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. ज़िले में शुल्क प्लाज़ा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत रुपये 2304.24 करोड़ है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. पंजाब डिवीज़न-20015/10/2025-पीआईयू चंडीगढ़/ई-259289]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 395(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O. 1457 (E) dated the 09.05.2017 & Number S.O. 276 (E) dated the 14.02.2012 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch Kharar-Banur-Tepla of NH-205A from Km 0.00 to km 39.53 and the stretch of Chandigarh to Kurali section [from km 0.870 to km 1.680(Punjab/Chandigarh Border) and from km 6.800 Chandigarh/Punjab Border) to Km 28.600] of NH-205 and NH-5 in the State of Punjab respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 30.223 [Table-2] and for equivalent structure (having length more than 60m) of 11.010 km (having length of 1.101 km [Table-4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 7.126 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Greenfield alignment IT City Chowk to Kuralipart of NH- 205 A (from design chainage km 0+000 to km 22+080 and part of NH-205 from design chainage Km 22+080 to Km 31.230 including section of existing Kurali Bypass of NH-205 from existing Km. 22+680 to Km. 29+900) in the State of Punjab authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km 19+425 of NH- 205A near Bajheri village in SAS Nagar district of State Punjab	30.223 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza (s): -

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Km 19+425 of NH-205A near village Bajheri in SAS Nagar district of State Punjab	Kurali Bypass of NH-205	22.680	29.900	7.126	410.40	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable)**
At Km 19+425 of NH-205Anear Bajheri village in SAS Nagar district of State Punjab	1.101 km	11.010	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

Sr. No.	**Design Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in km)**
	Start	**End**		
1	-(0+060)	+(0+060)	VOP	0.120
2	0+070	0+280	Flyover	0.210
3	0+288	0+388	Major Bridge	0.100
4	18+416	18+506	Major Bridge	0.090
5	20+572	20+639	ROB	0.067
6	29+695	29+905	Major Bridge	0.210
7	31+020	31+230	Flyover	0.210
8	26+833	26+927	ROB (Kurali Bypass)	0.094
		Total		**1.101**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 340.00 (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6 Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2304.24 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PUNDIV-20015/10/2025-PIU Chandigarh/E-259289]
CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.29 17:13:14 +05'30'